हिण्डन एयरपोर्ट तक पहुॅचने वाले सम्पर्क मार्ग की भूमि का क्रय एवं मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 31 जुलाई, 2018 को <u>अपरान्ह 01:00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।</u>

(उपस्थिति संलग्न)

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 29 मई, 2018 को यह निर्णय लिया गया था कि सिकन्दरपुर मार्ग से हिण्डन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग हेतु लगभग 650 मीटर लम्बी नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। इस हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को भूस्वामियों से तीन वर्ष के लिए लीज पर लेकर सड़क निर्माण का कार्य अपने विभागीय बजट से कराया जाएगा। लीज पर ली गई भूमि पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा यथावश्यकता माननीय मंत्रिपरिषद के आदेश प्राप्त कर लिए जाएंगे।

2- इसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17.07.2018 में सड़क निर्माण के लिए भूमि को लीज पर लेने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया तथा मात्र तीन वर्ष की अल्प अवधि के लिए सड़क निर्माण के औचित्य पर प्रश्न उठाया गया। तत्क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा अपना प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

उपर्युक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि क्रय के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली नागरिक उड्डयन विभाग को सन्दर्भित की गई है। प्रकरण में निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 31 जुलाई, 2018 को बैठक आयोजित कराई गई।

लोक निर्माण विभाग द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को क्रय कर स्थाई सड़क का निर्माण किया जाना उचित होगा तथा लोक निर्माण विभाग भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग के नाम भूमि क्रय करेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा अग्रेतर यह अनुरोध किया गया कि इस भूमि क्रय की लागत नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वहन की जाए; तदुपरान्त इस भूमि पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. आवास विकास परिषद के क्षेत्र व स्वामित्व में पड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का सुदृढ़ीकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से कराया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग हेतु लगभग 650 मीटर लम्बी नई सड़क के निर्माण हेतु भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि क्रय की जाएगी; तथा भूमि क्रय की धनराशि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

3. क्रय की गई भूमि पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट से सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या: 77/2018/1505/छप्पन-2018-71/2017
लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
4. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
8. निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in